UPRN180023412022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर, कानपुर देहात ।

प्रा०पत्र सं०-449/2022

अ०सं०-507/2022

सरकार बनाम जमालुद्दीन ।

धारा-279,337,304A भा०द०सं०

थाना -घाटमपुर, कानपुर नगर ।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त जमालुद्दीन द्वारा अ०सं० -507/2022, धारा-279,337,304A भा०द०सं० थाना - घाटमपुर ,कानपुर नगर में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त पर लगाया गया आरोप झूंठा व निराधार है । उसे हैरान व परेशान करने के लिए मुल्जिम बनाया गया है । अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है । अभियुक्त की ओर से जमानत की याचना की गयी है ।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा आख्या प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अपराध जमानतीय है ।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है । अभियुक्त द्वारा रू० बीस हजार की दो जमानतें तथा समान धनराशि का निजीबंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए ।

दिनांक 11-10-2022

(अनुराग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात ।
I.D.No.UP 3268

Digitally signed by ANURAG
Date: 2022.06.29 19:39:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court